

प्रारूप-3

भाग-2 (संदर्भित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या रकबा की अवस्थिति

(i) राज्य/संघराज्य क्षेत्र - उत्तराखण्ड

(ii) जिला - मल्मोहा

(iii) जिला वन प्रभाग - काली वन प्रभाग मल्मोहा

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र -

17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विविध प्रारिथ्यता - आरक्षित, सिविल, वन पंचायत, हस्तशिल्प

18. उपयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्योरा - चने, छड़िया, श्रीमूल, काफल

(i) वन का प्रकार - घन/वन

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व - 0.8

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना - संलग्न है

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यक्रम योजना का नुस्खा - संलग्न है

19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी - भू वैज्ञानिक अभ्युपेक्षण

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी - 350 मीटर

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता -

(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्योरा :

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अंतरवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्योरे और उपाय किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाय की जाएं)

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियों उपाय की जाएं)

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव अंतरवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियों उपाय की जाएं)

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसके खतरे की प्रजातियां हैं, यदि है तो उसके ब्योरे

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्त्व या विरासत स्थल या प्रतिस्मारक स्थापन या कार्य महत्वपूर्ण सस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाय किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुरोधित प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्योरा दें) - नहीं

23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की सुविधायुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां हैं :

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोज्य अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की औसत अवस्थिति है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। - अपेक्षा व न्यूनतम है।

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के शिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके सर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्भूत वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

25. क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

संलग्न है।

(i) क्षतिपूर्क वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विविक प्रस्थिति।

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कंपार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।

(iii) क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामान्य वन सीमाएं संलग्न हैं।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।

(v) क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

(vi) क्या क्षतिपूर्क वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संवद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है (हां/नहीं)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समायात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट शिफारिशों संस्तुति के साथ  
सीटिफिकेट

स्थान: America

तारीख: 22/02/2022

हस्ताक्षर

  
माननीय वन विभाग

बलमोहा वन विभाग